तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3241/2002/जयपुर सरकार बनाम गोविन्दनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–

श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 30-07-2021

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) जयपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22-03-2002 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक चकबंदी रजिस्टर सम्वत 2015-34 ग्राम मुडियारामसर तहसील जयपुर स्थित खसरा संख्या 149, 150, 138, 389, 392 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा माफी मंदिर श्रीसीतारामजी बहतमाम पुजारी लादूराम पुत्र श्योजीराम, रामनारायण पुत्र गोपीलाल हिस्सा बराबर ब्राहमण साकिन देह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कालम में खुदकाश्त माफीदार दर्ज था। कालान्तर में विवादित आराजी माफी मंदिर की बजाय सम्वत 2021-2024 की जमाबंदी में लादूराम पुत्र श्योजीराम, रामनारायण पुत्र गोपीनाथ हिस्सा बराबर कौम ब्राहमण साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा बाद में खातेदार लादूराम के फौत हो जाने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 64 से गोविन्दनारायण पुत्र लादूराम के नाम परिवर्तित होकर जमाबंदी सम्वत 2033-2036 में भूमि गोविन्दनारायण पुत्र लादूराम व

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेफरेन्स/एलआर/3241/2002/जयपुर
सरकार बनाम गोविन्दनारायण वगैरहा</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>रामनारायण पुत्र गोपीनाथ के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है।

हमने योग्य राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मंदिर श्रीसीतारामजी की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति मन्दिर सतत अयवस्क है इस कारण उनकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः विवादग्रस्त भूमि पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

हमने योग्य राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार चकबंदी रजिस्टर सम्वत 2015-34 ग्राम मुडियारामसर तहसील जयपुर स्थित खसरा संख्या 149, 150, 138,389, 392 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा माफी मंदिर श्रीसीतारामजी बहतमाम पुजारी लादूराम पुत्र श्योजीराम, रामनारायण पुत्र गोपीलाल हिस्सा बराबर ब्राहमण साकिन देह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कालम में खुदकाश्त माफीदार दर्ज था। कालान्तर में विवादित आराजी माफी मंदिर की बजाय सम्वत 2021-2024 की जमाबंदी में लादूराम पुत्र श्योजीराम, रामनारायण पुत्र गोपीनाथ हिस्सा बराबर कौम ब्राहमण साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा बाद में खातेदार लादूराम के फौत हो जाने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 64 से गोविन्दनारायण पुत्र लादूराम के नाम परिवर्तित होकर जमाबंदी सम्वत 2033-2036 में भूमि गोविन्दनारायण पुत्र लादूराम व रामनारायण पुत्र गोपीनाथ के</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3241/2002/जयपुर सरकार बनाम गोविन्दनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 व 46 के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है और इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई गयी काश्त उसके स्वयं द्वारा की गयी ही मानी जावेगी। नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो भी गये है तो वह प्रभाव शून्य ही माने जावेगें। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर सतत अवयस्क है उसकी खुदकाश्त खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को माफी मंदिर श्रीसीतारामजी वाके देह दर्ज करने तथा विवादित आराजी बाबत् अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत समस्त नामान्तरकरणों एवं खातेदारी के इन्द्राजात को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3241/2002/जयपुर सरकार बनाम गोविन्दनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए